

दिनांक—10.07.2023—

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फरस्वाण न्यायालय में उपस्थित हैं।

पीठासीन अधिकारी उपार्जित अवकाश पर हैं। न्यायहित में तिथि मुलतवी की जाती है।

पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 26.07.2023 को प्रस्तुत हो।

प्रभारी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।